न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 22/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.मांगीलाल पुत्र बीजाराम जाति मेगवाल निवासी गावं रोहिचा खूर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.नथाराम पुत्र श्री राजूराम 02.मांडूदेवी पत्नी श्री राजूराम जाति मेगवाल निवासीगण गांव रोहिचा खूर्द तहसील लूणी जोधपुर 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति —
01.प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री आकाश गोयल ।
02.अप्रार्थीगण की और कोई अधिवक्ता उपस्थिति नही ।

आदेश दिनांक :— 11/12/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि सरहद मौजा रोहिचा खूर्द अरनियाला पटवार हल्का पीपरली मे कुल क्षेत्रफल 20 बीधा आई हुई है जिसमे ओमप्रकाश पुत्र कालूराम का हिस्सा 1/30, किशनाराम पुत्र कालूराम का हिस्सा 1/30, गंगाराम पुत्र वीजाराम का हिस्सा 1/6, झमकु देवी पुत्र बीजाराम का हिस्सा 1/6 भाणीदेवी पुत्री बीजाराम का हिस्सा 1/6, भानुप्रकाश पुत्र कालूराम का हिस्सा 1/30 सोमली देवी पत्नी कालूराम का हिस्सा 1/30 है प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्ति पूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी पानी के टांके पशु बाडे इत्यादि बना रखे है जिस पर प्रार्थीगण का परिवार विगत 50 वर्षो से निवास कर रहा है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पास ही अधिकारो को प्रभावित करने वाली अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि आई हुई है जिसके खसरा नम्बर 358 कुल क्षेत्रफल 24 बीधा भूमि ग्राम रोहिचा खुर्द पटवार हल्का पीपरली मे आई हुई है। प्राथी द्वारा अप्रार्थी गण 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 358 मे से खसरा नम्बर 342 अपनी खातेदारी भूमि जाने के लिये 30 फुट चौडा रास्ता नक्शा नजरी लाल स्याही से मार्क कर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाने हेतु न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन उनकी तरफ से कोई हाजिर नहीं हुए । तहसीलदार लूणी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल मिशल हैं । तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन करती हैं ।

बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । मौका फर्द दिनांक 19.12.2022 अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते का खसरा संख्या 358 में से 18 फुट चौड़ाई अनुसार रास्ते दिया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं क अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 358 में से मौका फर्द दिनांक 19.12.2022 अनुसार 18 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाता हैं । उसकी कृषि भूमि की डीएलसी दर से तहसीलदार लूणी गणना कर प्रार्थी को उपलब्ध करवायें तथा उक्त राशि प्रार्थी तहसीलदार लूणी के समक्ष चैक अथवा डीडी प्रार्थी के हिस्सो अनुसार बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करें । उक्त राशि तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करने पर तहसीलदार लूणी राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अमल दरामद करें तथा मौके पर जाकर रास्ता खुलवाया जावें । मौका फर्द दिनांक 19.12.2022 मे 30 फुट के स्थान पर 18 फुट चौडा रास्ता इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पुखराज कांसोटिया) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी